



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल, इंस्टीट्यूटेशन ऑफ इंजीनियर्स (इ०), नियर ISBT,
क्लेमनटाउन, देहरादून फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314
Website www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

राज्य में प्रस्तावित विद्युत दरों पर जन सुनवाई

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, पिटकुल तथा यूजेवीएन लि० द्वारा क्रमशः विद्युत वितरण, पारेषण तथा उत्पादन के लिए वर्ष 2013-14 हेतु प्रस्तावित विद्युत दरों हेतु दायर टैरिफ पिटीशन तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 (कन्ट्रोल पिरियड) हेतु प्रस्तावित ए०आर०आर० एवं व्यापार योजना (Business Plan) के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं व अन्य सम्बन्धित संस्थाओं, व्यक्तियों से सुझावों/मतों को जानने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग नीचे दिये गये कार्यक्रम के अनुसार जन सुनवाई करेगां

दिनांक	समय	जन सुनवाई का स्थान
14.03.2013	अपराह्न 12.00 से 02.00 बजे तक	रानीखेत : सभागार, होटल रानीखेत ग्रैंड, सदर बाजार, रानीखेत
15.03.2013	प्रातः 11:30 बजे से 01.30 बजे तक (उद्योग/अघरेलू श्रेणी उपभोक्ता)	रूद्रपुर : सभागार, विकास भवन, नैनीताल रोड़, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)
	अपराह्न 03.00 बजे से 05.00 बजे तक (उद्योग/अघरेलू श्रेणी को छोड़कर अन्य शेष सभी श्रेणी के उपभोक्ता)	
18.03.2013	प्रातः 11:30 बजे से 01.30 बजे तक (उद्योग/अघरेलू श्रेणी उपभोक्ता)	देहरादून : सभागार, इण्डियन मेडिकल एसोशियेशन (आईएमए), चकराता रोड़, देहरादून
	अपराह्न 03.00 बजे से 05.00 बजे तक (उद्योग/अघरेलू श्रेणी को छोड़कर अन्य शेष सभी श्रेणी के उपभोक्ता)	
20.03.2013	प्रातः 11:30 बजे से 01.30 बजे तक	नई टिहरी : सभागार, जिला पंचायत कार्यालय, नई टिहरी

यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था इस सम्बन्ध में अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे कृपया सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने मत को आयोग के समक्ष लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं

प्रस्तावित विद्युत दरों, एआरआर एवं व्यापार योजना का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in पर उपलब्ध हैं

सचिव